

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

पत्रांक-वि० प्रा० (V) विविध-04 / 2022/2200 / पटना, दिनांक- 07/5/25

प्रेषक,

अपर सचिव-सह-निदेशक
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार पटना।

सेवा में,

1. प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
सभी अभियंत्रण महाविद्यालय।
2. प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
सभी राजकीय पोलिटेकनिक/
राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान।
3. सचिव,
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना।
4. परियोजना निदेशक,
बी० सी० एस० टी०, पटना।

विषय:- लोक सूचना पदाधिकारियों एवं श्रृंखला के प्रथम अपीलीय प्राधिकार की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- विधि पदाधिकारी-सह-प्रभारी सचिव, राज्य सूचना आयोग, सूचना भवन चौथा तल्ला, बिहार पटना के पत्रांक-136, दिनांक-28.04.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में विधि पदाधिकारी-सह-प्रभारी सचिव, राज्य सूचना आयोग द्वारा विभाग के अधिनस्थ लोक प्राधिकार का कार्यालय, लोक सूचना पदाधिकारियों एवं श्रृंखला के प्रथम अपीलीय प्राधिकार की सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अतएव लोक प्राधिकार का कार्यालय, लोक सूचना पदाधिकारियों एवं श्रृंखला के प्रथम अपीलीय प्राधिकार की सूचना उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र की प्रति पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि वांछित सूचना दिनांक-08.05.2025 तक विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। विदित हो कि इसकी समीक्षात्मक बैठक दिनांक-09.05.2025 को 3:30 बजे अपराह्न में राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष निर्धारित है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

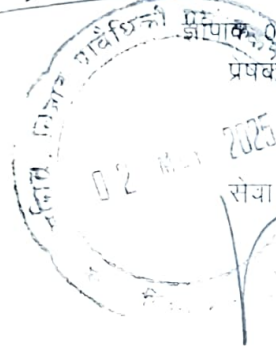


अपर सचिव-सह-निदेशक
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना।



राज्य सूचना आयोग
सूचना भवन, चौथा तल्ला बिहार, पटना

अवलोकित



प्रपत्र संख्या: 01/वि0सू0आ0-01-06/2025 / 136 / पटना, दिनांक 28/04/2025

संदीप अग्निहोत्री
विधि पदाधिकारी सह सचिव।
सेवा में

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
पंचायती राज विभाग/शिक्षा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/वित्त विभाग/निबंधन एवं मध्य निषेध विभाग/वाणिज्य कर विभाग/अनु०जाति-जन जाति कल्याण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/पिछड़ा-अति पिछड़ा कल्याण विभाग/सहकारिता विभाग/श्रम संसाधन विभाग/ विधि विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।
बिहार, पटना।

विषय: विभाग के अधिनस्थ लोक प्राधिकार का कार्यालय, लोक सूचना पदाधिकारियों एवं शृंखला के प्रथम अपीलीय प्राधिकार की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

निदेशानुसार कहना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के Chapter-1 की कड़िका 2 (h) में Public authority की व्याख्या एवं धारा 2 (m) में Public Information officer/Assistant public information officer की व्याख्या की गई है। साथ ही Chapter-2 की धारा 5 (1) में इन पदों पर पदाधिकारियों को नामित करने के संबंध में विस्तृत व्याख्या की गई है। Chapter-V की धारा 19(1) में प्रथम अपीलीय प्राधिकार का पदनाम एवं कार्यालय का पता धोषित करने संबंधी निदेश दिये गये हैं।

अंकित प्रावधानों तहत विमर्श हेतु माननीय राज्य सूचना आयुक्त श्री ब्रजेश मेहरोत्रा के कार्यालय कक्ष में दिनांक 09.05.2025 को 3.30 बजे अपराह्न में एक बैठक का आयोजन किया गया है।

अतः संलग्न प्रपत्र में अपने विभाग के अन्तर्गत पड़ने वाले मुख्यालय, राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय स्तरीय कार्यालयों/संस्थानों(सबसे नीचे के स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक के) Public authority के लोक सूचना पदाधिकारी/सहायक लोक सूचना पदाधिकारी का पदनाम, कार्यालय का नाम एवं पता तथा प्रत्येक लोक सूचना पदाधिकारी के प्रथम अपीलीय प्राधिकार का पदनाम एवं कार्यालय का नाम एवं पता संलग्न प्रपत्र में सूची(hard copy & soft copy में)के साथ विभाग के किसी एक वरीय लोक सूचना पदाधिकारी को संसमय बैठक में भाग लेने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

Sandeep

(संदीप अग्निहोत्री)

विधि पदाधिकारी-सह-प्रभारी सचिव.

2478/सच की
02/05/25

[illegible]